संख्या-10/1828प्रो0/51-51-2014-20(52)/2010

प्रेषक

अमित गुप्ता
विशेष सचिव
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांकः 19 सितम्बर 2014

विषय: प्रदेश में पधारने वाले महानुभावों को राज्य अतिथि घोषित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में पधारने वाले अति विशिष्ट/विशिष्ट महानुभावों को उ0प्र0 राज्य अतिथि नियमावली,2011 के अन्तर्गत राज्य अतिथि बनाया जाता है तथा उनके प्रवास, भोजन व परिवहन की व्यवस्था उक्त नियमावली के अन्तर्गत की जाती है। प्रवास की व्यवस्था राजकीय अतिथि गृह में किए जाने का प्राविधान है किन्तु विशेष परिस्थितियों में नियमावली के प्रस्तर-7 के अन्तर्गत होटल में भी प्रवास की व्यवस्था की जा सकती है जिसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। प्रोटोकाल विभाग में विगत कुछ समय से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रदेश में पधारने वाले महानुभाव की व्यवस्था विभागों द्वारा होटल ताज में कर दी गयी तथा बिलों के भुगतान के लिए प्रस्ताव प्रोटोकाल विभाग को भेजा गया है, जबकि ऐसे महानुभाव को न तो राज्य अतिथि घोषित किया गया और न ही होटल ताज में प्रवास की व्यवस्था के लिए मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया है:-

1- प्रदेश में पधारने वाले ऐसे महानुभाव जो उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि नियमावली,2011 के श्रेणी-1 से आच्छादित नहीं होते हैं, को राज्य अतिथि घोषित किए जाने हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित विभागों द्वारा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल विभाग को ही समयान्तर्गत सीधे भेजे जायेंगे, जिस पर प्रोटोकाल विभाग द्वारा विचारोपरान्त राज्य अतिथि घोषित किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

2- विभागों द्वारा यदि किसी महानुभाव के प्रवास व भोजन की व्यवस्था होटल ताज अथवा अन्य होटल में किए जाने का प्रस्ताव है, तो उस पर मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन आवश्यक होगा। मा. मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त होटल ताज अथवा अन्य होटल में प्रवास व भोजन की व्यवस्था सम्बन्धित विभाग द्वारा की जायेगी। राज्य अतिथि घोषित महानुभाव से सम्बन्धित होटल के बिल सत्यापित कर तीन दिन में भुगतान हेतु प्रोटोकाल विभाग को सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

----2

2- अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

अमित गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या-1828(1)प्रो0/51-2014-20(52)/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0 शासन, नई दिल्ली।
5- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0।
6- राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0।

आज्ञा से

जितेन्द्र राम त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in